कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

–:: कार्यालय आदेश ::–

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिशंषा के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–4/नियुक्ति रसायन विज्ञान/पीएससी/2015/2017 प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 25.10.2016 द्वारा अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिशंषा, आवेदन पत्रो की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 25.10.2016 के पश्चात् जारी किये गये। इस प्रकार दिनांक 25.10.2016 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थी लेखनी शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,,जोधपुर में याचिका संख्या 19332/2018 लेखनी शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 19332/2018 लेखनी शर्मा व अन्य बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.03.2021 में याचिका को मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एसबीसी याचिका संख्या 7283/2014 निर्णय दिनांक 16.07.2014 व कृष्ण लाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एसबीसी याचिका संख्या 19179/2017 निर्णय दिनांक 30.10.2017 से संबंध कर निस्तारित किया गया है। मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एसबीसी याचिका संख्या 7283/2014 निर्णय दिनांक 16.07.2014 में अभिनिर्धारित किया गया है कि "If the respondent no. 02 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, then the petitioners would be entitled to all benefits of seniorty but they would be entitled only to notional benefits."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी लेखनी शर्मा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 25.10.2016 द्वारा नियुक्ति प्रदत्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र.सं	नाम याचिकार्थी	मेरिट क्रमांक	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण दिनांक
01	लेखनी शर्मा	799	22.06.2018	28.06.2018

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे दायर याचिका संख्या 19332/2018 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 23.03.2021 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान(पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी।

याचिकार्थी लेखनी शर्मा के नियुक्ति आदेश दिनांक: 22.06.2018 को जारी होने तथा कार्यग्रहण दिनांक: 28.06.2018 (मध्याह्न पश्चात) को किये जाने के बावजूद लेखनी शर्मा को प्राध्यापक भर्ती: 2015 में रसायन विज्ञान विषय हेतु जारी प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक: 25.10.2016 के अनुरूप वरिष्ठता वर्ष: 2016–17 प्रदान करते हुए

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.07.07 20:34:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4132076

भर्ती एजेंसी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदत्त मेरिट क्रमांकः 799 के अनुरूप उक्त भर्ती परीक्षा में मेरिट क्रमांकः 798 प्राप्त अभ्यर्थी रूचिका चतुर्वेदी को प्रदान वरिष्ठता क्रमांकः– 7368/2016–17 के तत्काल पश्चात याचिकार्थी लेखनी शर्मा को वरिष्ठता क्रमांकः– 7369/2016–17 प्रदान किया जा चुका है। याचिकार्थी के विषय रसायन विज्ञान में संबंधित प्राध्यापक भर्ती में भर्ती एजेंसी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा चयनित अभ्यर्थियों में याचिकार्थी लेखनी शर्मा का वरीयता क्रमांक अंतिम(मेरिट क्रमांक 799)होने के कारण याचिकार्थी से कनिष्ठ वरीयता क्रमांक का अभ्यर्थी संबंधित चयन विषय में उपलब्ध नहीं होने के कारण याचिकार्थी को मौद्रिक नोशनल परिलाभ पर विचार किया जाना संभव नहीं है। तदनुसार माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में याचिकार्थी लेखनी शर्मा को नियमानुसार देय वरिष्ठता संबंधी नोशनल परिलाभ प्रदान किया जाकर एतद् द्वारा अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/मा/संस्था/सी–4/रजीगृ/अव.या.सं 393/23/लेखनीशर्मा/या.सं 19332/18 दिनांकः– 07/07/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान , जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान , जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.................................।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) मा0शि0/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.........................।
6. सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय–हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ
7. संबंधित संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि ....।
8. संबंधित कार्मिक ....।

रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.07.07 20:34:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4132076